

कोलकाता पत्तन न्यास

कोलकाता पत्तन न्यास निम्नलिखित निबंधन और शर्तों पर कोलकाता गोदी प्रणाली के अधीन अपने प्रशासन विभाग के लिए संविदात्मक आधार पर एक हिन्दी अनुवादक-सह-सहायक को नियुक्त करने का इच्छुक है :-

शैक्षिक अर्हताएँ : स्नातक स्तर पर दो वैकल्पिक विषय के रूप में हिन्दी एवं अंग्रेजी। हिन्दी विषय में स्नातकोत्तर उपाधिप्राप्त उम्मीदवारों को अधिमानता दी जाएगी।

अनुभव: किसी महापत्तन / स्वायत्त निकाय / स्थानीय प्राधिकरण / सांविधिक संगठन / सरकारी क्षेत्र के उपक्रम / सरकारी कंपनी / केन्द्र / राज्य सरकार के मंत्रालयों या विभागों में हिंदी से अंग्रेजी और अंग्रेजी से हिन्दी में अनुवाद कार्य का कम से कम 10 वर्ष का अनुभव।

या

हिन्दी शिक्षण के क्षेत्र में कार्य करने का कम से कम 10 वर्ष का अनुभव।

या

हिंदी समाचार-पत्र / हिंदी दैनिक समाचार-पत्र / पत्रिका में पत्रकार के रूप में कार्य करने का कम से कम 10 वर्ष का अनुभव।

हिन्दी में कंप्यूटर अनुप्रयोग का ज्ञान अनिवार्य है (उम्मीदवार को हिन्दी यूनिकोड में टंकण में प्रवीण होना चाहिए(इसके लिए प्रमाणपत्र अपेक्षित नहीं है परंतु व्यावहारिक परीक्षा ली जाएगी)।

आयु : उम्मीदवार की आयु स्थानीय समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित होने की तारीख को 35 वर्ष से कम और 62 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

कार्यकाल : नियुक्ति एक वर्ष के लिए की जाएगी और उक्त अवधि के बीतने पर संविदात्मक नियुक्ति स्वतः समाप्त हो जाएगी। तथापि, संविदा की समाप्ति पर कोलकाता पत्तन न्यास के पास, ऐसी अवधि के लिए और ऐसी शर्तों पर जिनपर दोनों पक्षकारों की आपसी सहमति हो, नया करार करने का अधिकार सुरक्षित है।

पारिश्रमिक : प्रतिमाह रु.15912 का (रुपये पंद्रह हजार नौ सौ बारह मात्र) (संशोधनाधीन) नियत समेकित पारिश्रमिक प्रदान किया जाएगा।

लिखित परीक्षा और साक्षात्कार : इस प्रयोजनार्थ कोलकाता गोदी प्रणाली के प्रशासन विभाग में अंग्रेजी से हिन्दी और हिन्दी से अंग्रेजी अनुवाद आदि की एक लिखित परीक्षा किसी नियत तारीख को ली जाएगी जिसके बारे में पात्र उम्मीदवारों को सूचित किया जाएगा। केवल उन्हीं उम्मीदवारों का साक्षात्कार लिया जाएगा जो लिखित परीक्षा में अर्हक अंक प्राप्त करेंगे।

निबंधन और शर्तें :

(i) उम्मीदवार कोलकाता पत्तन न्यास में राजभाषा अधिनियम, नियम और भारत सरकार की राजभाषा संबंधी नीतियों के कार्यान्वयन से संबंधित सभी कार्य; हिन्दी से अंग्रेजी एवं अंग्रेजी से हिन्दी में अनुवाद-कार्य, कोलकाता पत्तन न्यास में प्रशिक्षण से संबंधित विभिन्न कार्य और कोलकाता पत्तन न्यास के प्राधिकारियों द्वारा समय-समय पर सौंपे जानेवाले किसी अन्य कार्य के लिए उत्तरदायी होगा।

(ii) उम्मीदवार यथालागू लाइसेंस शुल्क/किराया का भुगतान करके कोलकाता पत्तन न्यास की आवास (असज्जित) सुविधा का उपभोग कर सकता है।

(iii) चयनित उम्मीदवार का पदस्थापन सामान्यतः कोलकाता पत्तन न्यास के प्रधान कार्यालय 15, स्ट्रैंड रोड, कोलकाता-700001 में किया जाएगा। तथापि, उससे कोलकाता पत्तन न्यास के अधिकार-क्षेत्र के भीतर किसी भी स्थान पर कार्य करने की अपेक्षा की जा सकती है।

(iv) उम्मीदवार से सामान्यतः किसी सप्ताह में 5 (पाँच) पूर्णकालिक दिवस में कार्य करने की अपेक्षा की जाएगी और वह सामान्यतः सप्ताह में रहनेवाली दो दिन की छुट्टी उपभोग करने का हकदार होगा। तथापि, आवश्यकता पड़ने पर उससे **किसी प्रतिपूर्ति के बिना शनिवार को** कार्य करने की अपेक्षा की जा सकती है। अत्यावश्यकता की स्थिति में साप्ताहिक छुट्टी के दिन/घोषित राष्ट्रीय अवकाश के दिन कार्य करने पर उसे उसके बदले में सुविधानुसार प्रतिपूरक विश्राम का दिन मंजूर किया जाएगा और उसके लिए कोई अन्य प्रतिपूर्ति मौद्रिक या अन्यथा, मंजूर नहीं की जाएगी।

(v) उम्मीदवार एक वर्ष की अपनी नियुक्ति अवधि (नियुक्ति की तारीख से बारह महीने) के भीतर 15 दिनों की छुट्टी का हकदार होगा जिनका उपभोग पूर्व अनुमोदन से किया जा सकता है। 15 दिनों से अधिक की किसी अप्राधिकृत अनुपस्थिति के लिए समेकित पारिश्रमिक से समानुपातिक कटौती की जाएगी।

(vi) इसके अतिरिक्त, एक वर्ष की नियुक्ति अवधि (नियुक्ति की तारीख से बारह महीने) के भीतर कोलकाता पत्तन न्यास के चिकित्सा अधिकारी से प्रमाणपत्र के आधार पर पारिश्रमिक से कोई कटौती किए बिना बीमारी के कारण 10 दिनों तक बीमारी की छुट्टी पर रहने की अनुमति दी जा सकती है। बीमारी की सूचना फोन पर मौखिक रूप से दिए जाने के अतिरिक्त किसी पंजीकृत चिकित्सक से बीमारी के प्रमाणपत्र सहित लिखित रूप में बीमारी की सूचना तत्काल अव्यवहित रिपोर्टिंग अधिकारी को दी जानी चाहिए।

(vii) चयनित उम्मीदवार केवल स्वयं के लिए कोलकाता पत्तन न्यास सेंटनरी अस्पताल में उपलब्ध आवासी एवं बाहरी चिकित्सा सुविधाओं का हकदार होगा। तथापि, बाहर से खरीदी गई औषधीय सामग्री/ चिकित्सा सामग्री/बाहर कराए गए नैदानिक परीक्षण / बाहर कराए गए उपचार के लिए किसी प्रतिपूर्ति की अनुमति नहीं होगी।

(viii) मुख्यालय से बाहर किसी शासकीय दौरे पर उम्मीदवार, हिन्दी अनुवादक के नियमित पदधारी को देय यात्रा भत्ता / मंहगाई भत्ता का हकदार होगा।

(ix) उम्मीदवार सामान्यतः प्रशासन विभाग में हिन्दी अधिकारी को रिपोर्ट करेगा। तथापि, कार्य की अत्यावश्यकता की स्थिति में उससे केओपीटी के किसी अन्य अधिकारी को रिपोर्ट करने की अपेक्षा की जा सकती है।

(x) उम्मीदवार कोलकाता पत्तन न्यास के धन, माल एवं भंडार तथा उसे सौंपी जा सकनेवाली अन्य सभी संपत्तियों के प्रभार एवं देखभाल के लिए उत्तरदायी होगा और वह उनके लिए जवाबदार होगा।

(xi) संविदात्मक नियुक्ति किसी भी पक्ष की ओर से एक महीने की नोटिस दिए जाने पर भी समाप्त की जा सकती है। तथापि असंतोषजनक कार्यनिष्पादन के लिए और/या कोलकाता पत्तन न्यास के हित में किसी कार्य के अप्रतिष्ठाकारी/ हानिकारक समझे जाने पर 24 घंटे की नोटिस पर नियुक्ति समाप्तनीय है।

(xii) यह नियुक्ति उम्मीदवार के पूर्वकृत के सत्यापन के अध्यधीन है।

संलग्न प्रारूप के अनुसार विस्तृत बायोडाटा देते हुए सभी आवेदनपत्रपासपोर्ट आकार का हाल का एक फोटो एवं आधार कार्ड की एक छायाप्रति (स्वयं सत्यापित) सहित मुहरबंद लिफाफे में अधिक से अधिक दिनांक 14.5.2018 को 5.30 बजे अपराहन तक सचिव, कोलकाता पत्तन न्यास, 15, स्ट्रैंड रोड, कोलकाता-700001 के पास भेजे जाने चाहिए। लिफाफे के ऊपर "हिन्दी अनुवादक-सह-सहायक की संविदात्मक नियुक्ति" अंकित की जानी चाहिए।